International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 10 Issue: 01 | Jan - 2026 SJIF Rating: 8.586 ISSN: 2582-3930

पर्यावरणीय दशाओं का खेल अभिरुचि पर प्रभाव : एक विश्लेषण

शोधार्थी – विजेन्द्र सिंह सितोलिया
शारीरिक शिक्षा विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर राजस्थान

शोध मार्गदर्शक – डॉ. अर्जुन सिंह पवार
सह प्राध्यापक
शारीरिक शिक्षा विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर राजस्थान

खेल और पर्यावरण का गहरा संबंध है एक दूसरे का खेलों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खेल सुरक्षित और आनन्ददायक खेल के लिये स्वच्छ हवा, मध्यम तापमान, स्वच्छ पानी और स्वच्छ स्थानों पर निर्भर करता है। विभिन्न एथलेटिक गतिविधियां अच्छी तरह से संरक्षित प्राकृतिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। खेल दुनियां को बदलने की ताकत रखती है यह एक मौलिक अधिकार है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और सतत् विकास और शांति के साथ–साथ एकजुटता और सभी के लिये सम्मान को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली माध्यम है। पर्यावरण के घनिष्ट संबंध होने के कारण खेल पर्यायावरण संरक्षण और स्थितरता को बढ़ावा देने के लिये भी एक प्रभावी साधन हो सकता है। खेल वातावरण व स्थिति एवं परिस्थिति है जिसके तहत एक खिलाड़ी खेल गतिविधि में शामिल होता है इसमें मैदान, इन्डोर और आउटडोर स्टेडियम, खेल परिसर, स्वास्थ्य क्लब, इन्डोर हॉल, व्यायामशाला, कोडियम कोर्ट एवं पार्क आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। दुनिया भर में लाखों लोग अपने पसन्दीदा खेल देखते हैं या उनमें भाग लेते हैं लेकिन मनोरंजन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये अपनी क्षमता के बावजूद खेल पर्यावरण को खराब भी कर सकता है। इसका समाधान करने के लिये देशभर में पेशेवर टीमें और कॉलेज स्थाई प्रथाओं को अपनाकर खेल को पर्यावरण परिवर्तन के लिये एक सकारात्मक शक्ति में बदल रहे हैं।

पार्क विभाग के एक ऐसोसिएट प्रोफेसर काइल बंड्स ने कहा, "यदि आप एक शहर के बीच स्टेडियम बनाते हैं और 80,000 लोग एक दिन के लिये उस स्थान पर एकत्रित होते हैं, तो पर्यावरण पर प्रभाव बहुत नकारात्मक होगा।" एनसी राज्य के प्राकृतिक प्रदूषण कोई समस्या नहीं है। कार्य उन नकारात्मक प्रभावों को कम करना है।

फुटवॉल खेलों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव वायु प्रदूषण है जो ज्यादातर परिवहन और टेलगेटिंग से होता है। दो साल पहले पार्क मनोरंजन और पर्यटन प्रबंधन विभाग के एक ऐसोसिएट प्रोफेसर, बंड्स और जोनाथन कैस्पर ने एनसी राज्य के कार्टर–फिनले स्टेडियम में वायु प्रदूषण पर एक अध्ययन किया था। अध्ययन कुछ दिलचस्प परिणामों के साथ सम्पन्न हुआ।

कैस्पर के अनुसार स्थिरता संदेश को लागू करने वाली खेल टीमें पर्यावरण की रक्षा में अधिक सफल परिणाम प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा "खेल ब्रान्ड प्रशसकों के प्रति जुड़ाव पैदा करते हैं उदाहरण के लिये एक बफादार वोल्फपैक प्रशंसक को वह करने के लिये एक सामाजिक मानदंड का अनुभव हो सकता है जो अन्य प्रशंसक कर रहे हैं और टीम ने क्या पूछा है।" "यही कारण है कि खेलों में प्रायोजन इतना अच्छा प्रदर्शन करता है।"

कैस्पर ने टीमें मैसेजिंग की शक्ति और वफादार प्रशंसक कैसे अनुसरण करेंगे इस पर शोध किया है। "व्यवहार सिद्धान्त के अनुसार, व्यवहार को बदलने के लिये सबसे पहले आपके पास जागरुता और ज्ञान होना चाहिए।" कैस्पर ने समझाया। "सौर पैनलों के साथ, प्रशंसकों को उनके बारे में पता हो सकता है, लेकिन उन्हें देखने से ज्ञान बढ़ता है... और इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद मिलती है जिसके बाद कार्यवाही होती है।

खेल और प्राकृतिक में विशेष संबंध होता है जो ग्लोवल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है। व्यक्तिगत खेल संगठन और सामूहिक वैश्विक खेल क्षेत्र के आयोजनों को दो प्राथमिक मोर्चों पर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना चाहिए–

1. प्राकृतिक पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करना जिसके परिणाम स्वरूप जल परिवर्तन होता ताकि व्यक्तिगत खेल संगठनों और होने वाले आयोजनों के बातावरण को बनाये रखा जा सके।

2. जल वायु परिवर्तन के कारण बदलते परिवेश से खेल इन दो मोर्चों से पिछले शोध की जांच करता है और अन्तराल की पहचान की जाती है जो पर्यावरण लेख प्रबंधन और लेख पारिस्थितिकी विषयों की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिये भविष्य के शोध को सूचित कर सकती है इसके बाद इन अनुसंधान लाइनों को बढ़ाने और

उद्योग अभ्यास को सूचित करने के लिये खेल प्रबंधन से परेह अन्य विषयों के उदाहरणों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन पर व्यवहारिक और माप प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करता है। जैसे–जैसे खेल क्षेत्र आंगे बढ़ रहा है, खेल पर्यावरण आंदोलन की एक चौथी लहर उभर रही है जहां खेल संगठन अपने घोषित पर्यावरणीय मूल्यों और संगठनात्मक संचालन में बिरोधाभाषों को हल करने के लिये आंतरिक और बाहरी दबाव का सामना करता है।

गुम दृष्टिकोण –

निःसंदेह, खेल पारिस्थितिकी अनुसंधान क्षेत्र में गायब या उभरने वाले अन्य दृष्टिकोण खेल और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की गहरी समझ प्रदान करते हैं। उस प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिये, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने और खेल उद्योग पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संवोधित करने के लिये बाहरी शैक्षणिक विषयों के नये दृष्टिकोण का स्वागत किया जाना चाहिए में यह उल्लेख करने में असमर्थ हूं कि खेल पारिस्थितिकी अनुसंधान के सामूहिक निकाय को पर्यावरणीय न्याय के बिचारों और खेल मनोरंजन और शारीरिक गतिविधि के भीतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों के लिये उनके आवेदन से लाभ होगा। परिणामस्वरूप, वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावो से निपटने के लिये तैयार नहीं है, यह देखते हुये कि ये देश जलवायु परिर्वतन में सबसे कम योगदान करते हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़े खतरों का सामना भी कर रहे हैं। शोधकर्ताओं को इन देशों की सेवा करने के तरीकों को संबोधित करना चाहिए ताकि वे अपने राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों को सार्थक और प्रमाणिक तरीके से संरक्षित कर सकें जो उनके सांस्कृतिक मूल्यों और स्वायत्तता के लिये सही हो।

इसके पर्यावरणीय प्रभावों के बावजूद, चाहे छोटा हो या बड़ा खेल के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और इसके लिये आवश्यक प्राकृतिक पर्यावण को संरक्षित करने की भूमिका और जिम्मेदारी है। खेल उद्योग और पेशेवरों को आकादमिक शोधकताओं के सहयोग से अपने पर्यावरणीय प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायता की आवश्यकता होगी। अगले 25 वर्षों में प्राकृतिक पर्यावरणों में खेल की प्रगति पर शोध के रूप में, सामूहिक खेल उद्योग (जैसे अभ्यासकर्ता, शिक्षाविद, छात्र, प्रशंसक, प्रतिभागी) को सह सुनिश्चित

करने की आवश्यकता है कि उसने खेल क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है यह भी कहा जा सकता है कि निःसंदेह, खेल और प्राकृतिक पर्यावरण को बनाये रखने के बीच नाजुक संतुलन हांसिल करने पर आकादमिक बहस और चर्चा होनी चाहिए। हमें इसे प्राप्त करने के बारे में इन असहमतियों, बहसों और शायद सही तर्कों का स्वागत करना चाहिए और उन्हों प्रोत्साहित भी करना चाहिए, लेकिन सामोहिक रूप से, हमें खेल और प्राकृतिक पर्यावरण को बनाये रखने का प्रयास करन चाहिए। खेल प्रबंधन अकादमी के रूप में, हमें भविष्य के लिये हमारे द्वारा बनाई हुई स्थाई नींव पर निर्माण के अवसरों का सम्मान करते हुये उन खेलों को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए।

जैव विविधता का तात्पर्य जीवों की विविधता और पर्यायावरण तथा उनके बीच की अन्त क्रियाओं से निर्मित तथा मंत्र से है। विश्व की जैव विविधता में भारत की हिस्सेदारी 7 प्रतिशत से अधिक होने के साथ या विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का स्थल है।

जैव विविधता की पृष्ठभूमि –

जैव विविधता अधिनियम 2002 का निर्माण जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CBD), 1992 में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये भारत के प्रयास के परिणामस्वरूप हुआ जो राज्यों को स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिये उनके संप्रभु अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।

जैव विविधता का आशय अर्द्धस्थलीय, समुद्रीय और अन्य जलीय पारिस्थिमिक तंत्रों एवं पारिस्थितिक परिसरों में विविधता तथा सजीवों के मध्य होने वाली परिवर्तनशीला से है।

जैव संसाधन –

जैव संसाधनों का अर्थ है ऐसे पौधों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों अथवा उनके अंगों, उनकी आनवांशिक सामग्री और उत्पाद जिनका काई वास्तविक या संभावित उपयोग अथवा मूल्य होता है। इनमें मानवीय अनुवाशिक पदार्थ शामिल नही होते।

कानून जिनसे NGT सरोकार रखती है, में शामिल है –

- जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (प्रदूषण रोगथाम एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986
- लोकदायित्व बीमा अधिनियम, 1991

अधिनियम से छूट –

- अधिनियम में उन भारतीय जैव संसाधनों को शामिल नहीं किया गया है जिनका सामान्य वस्तुओं के रूप में व्यापार किया जाता है। इस प्रकार की छूट केवल तब तक होती है जब तक जैव संसाधनों को वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता है किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं।
- यह अधिनियम भारतीय जैविक संसाधन एवं संबंधित ज्ञान के पारम्परिक उपयोगों को भी शामिल नहीं करता है तथा जब जैव संसाधनों का उपयोग केन्द्र सरकार की अनुमति के साथ भारतीय व विदेशी संस्थानों के मध्य सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं में किया जाता है तो उन्हें भी शामिल नहीं करता है।
- विभिन्न प्रकार के कास्तकारों तथा किसान, पशुपालक एवं मधुमक्खी पालक तथा पारम्परिक उपचारक, उदाहरण के लिये बैद और हकीमों को भी अधिनियम से भी छूट प्रदान की गई है।

राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं कार्य –

राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा–22 के अनुसार की जाती है।

- संरक्षण, धारणीय उपयोग तथा समान लाभ सांझा करने से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकारों द्वारा जारी किसी भी दिशा निर्देश के अधीन राज्य सरकारों को परामर्श देना।

- अन्य व्यवसायक उपयो अथवा जैव सर्वेक्षण एवं लोगों द्वारा किसी भी जैव संसाधन के जैविक उपयोग हेतु अनुरोधों को अनुबोधन के माध्यम से बिनियमित करना।

जैव विविधता प्रबंधन समितियां –

- अधिनियम की धारा–41 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र के भीतर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन करता है।

पर्यावरण जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका –

- जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता है यह जीवन, अपने सभी आकारों और पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में होता है। यह अन्य जीवों और भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है और उनके साथ बातचीत करता है। जैव विविधता लाखों वर्षों से विकसित हो रही प्रजातियों द्वारा सीखे गये सामूहिक 'ज्ञान' का प्रतिनिधित्व करती है जो पृथ्वी की अत्यधिक विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों से कैसे बचा जा सकता है। ये बदलती पर्यावरणीय परिस्थतियां समय के साथ प्रजातियों के भीतर और उनके बीच जैव विविधता में प्राकृतिक विविधताओं के साथ–साथ आनुबंशिक और ऐपीजेनिटिक परिवर्तनों का कारण बनती है। आज वैज्ञानिक इन प्राकृतिक विविताओं के आधार को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे हमें यह समझने की अनुमति देंगे कि जीवन कैसे विकसित होता है।

जैव विविधता के संरक्षण का महत्व –

पारिस्थितिक लाभ –

- जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- इससे परागण, पोषक, चक्रण और मृदा संरक्षण जैसी पारिस्थितिक सेवाएं प्राप्त होती हैं।

आर्थिक लाभ –

- जैव विविधता के आर्थिक लाभ भी हैं। कृषिक बानिकी और मत्स्य पालन के माध्यम से लाखों लोगों को आजीविका मिलती है।

- इसमें नई दवाओं और जैव प्रौधोगिकी के विकास की भी क्षमता है।

सांस्कृतिक लाभ–

- जैव विविधता भारत में कई समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परम्पराओं का अभिन्न अंग है।
- यह आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं के लिये भी महत्वपूर्ण है।

जैव विविधता के संरक्षण के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय –

- **संरक्षित क्षेत्र** – भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीवन, अभ्यारणों और वायोस्पीयर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों का नेटर्वक स्थापित किया है।
- जनवरी 2023 तक भारत के संरक्षित क्षेत्र 173,629.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फेले हुये हैं जो देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5.28 प्रतिशत है।
- **वन्य जीवन संरक्षण** – सरकार ने वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिये वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 जैसे कानून बनाये हैं।
- इसके साथ ही वन्य जीव अपराधों को रोकने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण व्यूरो जैसे संस्थनों की भी स्थापना की गई है।

अर्न्तराष्ट्रीय समझौते –

भारत जैव विविधता पर सम्मेलन और पैरिस समझौता जैसे अर्न्तराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करता है जिनका उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा करना और जलवायु परिवर्तन का समाधान करना है।

इन उपायों की प्रभावशीलता –

- संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना भारत में जैव विविधता के संरक्षण में प्रभावी रहा है।
- इन क्षेत्रो में बाघो, हाथियों और गैंड़ो जैसी लुप्त प्रजातियों को बचाने में मदद की है।

वन्य जीव संरक्षण –

- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अवैध शिकार और तस्करी जैसे वन्य जीव अपराधों को कम करने में प्रभावी रहा है।

अर्न्तराष्ट्रीय समझौते –

- अर्न्तराष्ट्रीय समझौतों में भारत की भागीदारी से जैव विविधता संरक्षण के बारे में जागरुकता बढ़ने के साथ वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने में मदद मिली है।

निष्कर्ष –

हाँलांकि ये उपाय कुछ मायनों में प्रभावी रहे हैं फिर भी मानव वन्य जीव संघर्ष अवैध शिकार और उनके आवास स्थल का नुकसान होने जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं इन चुनौतियों का समाधान करने के लिये प्राकृतिक संसाधन के सतत् उपयोग की दिशा में कार्य करना महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. प्रसाद, अनिरुद्ध (2016) – पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण विधि, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन।
2. उपाध्याय, जय जय राम (2016) – पर्यावरण पर्यावरण विधि सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी।
3. दुबे, ए.के. (2005) – पर्यावरण विधि सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन।
4. हेमवारी (2017) – पर्यावरण विधि यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा0लि0, जयुपर।
5. निर्मल, बी.सी., कुमार, अनूप (2015) – पर्यावरण विधि सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन।